

अल्पसंख्यक कल्याण, निदेशालय

620, इन्दिरा भवन, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक 4380 अ०सं०क०नि०/2023

दिनांक: 12/12/23

सेवा में,

समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय:—हज-2024 का प्रचार-प्रसार जिलों में किये जाने एवं हज ई-सुविधा केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उ०प्र० राज्य हज समिति के पत्र संख्या जी-11/3362/एस०एच०सी/2023 दिनांक 05.12.2023 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। हज-2024 हेतु ऑनलाइन आवेदन हज कमेटी आफ इण्डिया की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर दिनांक 04.12.2023 से आरम्भ हो चुका है।

उक्त पत्र के माध्यम से जिला स्तर पर हज यात्रियों की सुविधार्थ गत वर्षों की भांति हज ई-सुविधा केन्द्र प्रतिष्ठित अनुदानित मदरसों/मान्यता प्राप्त मदरसों व सामाजिक संस्थाओं पर स्थापित कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया था, जहां पर इच्छुक हज आवेदकों के ऑनलाइन आवेदन करने व प्रपत्रों को अपलोड कराये जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जानी है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देश दिये जाते हैं कि समस्त जिलों में हज ई-सुविधा केन्द्र प्राथमिकता के आधार पर स्थापित करायें तथा उसका प्रचार-प्रसार जिले के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों आदि में भी करायें ताकि कोई भी इच्छुक आवेदक समयन्तर्गत सूचना के अभाव में हज आवेदन करने से वंचित न रह जाये। हज आवेदन हेतु विस्तृत गाइडलाइंस उक्त पत्र के माध्यम से आपको प्रेषित किया गया था।

अतः कृत कार्यवाही से सचिव/कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य हज समिति को उनके ई-मेल आई.डी. shcuplko@rediffmail.com पर प्रत्येक हज ई-सुविधा केन्द्र का नाम, पता, सम्पर्क अधिकारी/कर्मचारी का नाम, मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. की सूची उपलब्ध करायें ताकि भविष्य में भी हज यात्रा से सम्बन्धित सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा सके।

भवदीय
J. Nishu
(जे० सी०)
निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज।
2. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज।
3. मा० अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य हज समिति को मा० सदस्यगण, उ०प्र० राज्य हज समिति को।
4. अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ०प्र० शासन।
5. जिलाधिकारी समस्त जनपद।
6. रजिस्ट्रार, उ०प्र० मदरसा शिक्षा परिषद, उ०प्र० को इस आशय से कि अपनी ओर से समस्त मदरसों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(जे० सी०)
निदेशक